

केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु.)

18,संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)

18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.

Tel.: 011-2695168, 8860748880

Email- mpquota@kvs.gov.in

Website: www.kvsangathan.nic.in

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

File No: 11-PUB0GEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक-09.07.2021

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

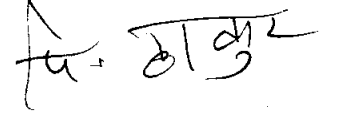
माननीय सांसद **Shri Vayalar Ravi** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या.785 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2021-22 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	NANDAJA. S. NAIR	SH. SURAJ. P.V MOB- 9447084383	1	KADUTHURUTHY
2	RISHI REJITH	SH. REJITH ER. MOB- 9846544999	2	ERNAKULAM KADAVANTHRA
3	NISHARA DILEEP	SH. DILEEP V MOB- 9447367757	1	KADUTHURUTHY
4	SURYA SHANKAR MANOJ. K	SH. MANOJ. K.R MOB- 9447777406	4	ERNAKULAM KADAVANTHRA
5	KUM JANAKI. S	SH. C.P. SREEHARSHAN MOB- 9946108241	1	PANGODE
6	MADHAV K GOPAL	SH. KAVILAL. E.G MOB- 7034010129	1	AFS AKKULAM
7	ANNAPOORNANESWAR Y KG	SH. GOPAKUMAR.S VAISHNAVAM MOB- 9497772179	1	CRPF PALLIPPURAM
8	ARAVIND. P	SH. PRAVEENKUMAR. G MOB- 9447281686	3	KOTTAYAM
9	EMAN BIND NIYAZI	SH. MUHAMMED NIYAZI MOB- 9447085505	1	NTPC KAYAMKULAM
10	VAIGA MANOJ	SH. A.N. MANOJKUMAR MOB- 9947155252	2	ERNAKULAM KADAVANTHARA

प. ठावर कृ. पृ. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. सं. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।
- (iv) प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2021 है।



(पिया ठाकुर)
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Vayalar Ravi माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, केविसं, **ERNAKULAM** संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)